राजस्थान सरकार

यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

अधिकारी :– रेखा गुर्जर आर०ए०एस०

संख्या :– 160/2026 फ्रा०फ्र

वजमल s/o भैरूलाल कुमावत नि० अर्जुनजन – तह० करेडा/रायपुर
प्राथी........

बनाम

भगडीला पुत्र ग्रामा कुमावत नि० पामेपा/खेडा – तह० रायपुर – करेडा
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 20/4/26

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत वेदन किया कि ग्राम [illegible] पटवार हल्का करेडा...... तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त ते खाता संख्या 141 आराजी नम्बर 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, ... कुल किता 15 रकबा 4.0092 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खाते की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20/4/26.......... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते र्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम [illegible]........ पटवार हल्का करेडा.................. तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, ... कुल किता 15....... रकबा 4.0092 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता ज[illegible] पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक करेडा............ को 1200/-/– रुपये क[illegible] फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा [illegible] होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये [illegible]तकील बिन्दु को [illegible] मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Gurjar
Date: 2026.04.30 14:23:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा
उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा

[illegible] प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार